अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक प.11(2)17/मो./आईसीडीएस/06–07/ 94978-95010 जयपुर, दिनांक 21.8.12

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषय :– वार्षिक परिवार सर्वेक्षण कार्यक्रम का संचालन 15 जनवरी से 15 मार्च, 2012

विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सघन परिवार सर्वेक्षण कार्यक्रम का प्रतिवर्ष संचालन किया जाना अपेक्षित था। यह आशा की जाती है कि उक्त सर्वेक्षण आप द्वारा पूर्ण कर लिया गया होगा।

परिवार सर्वेक्षण में एकत्रित सूचना का संकलन कर परियोजनावार सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' में एवं आंगनबाडी केन्द्रवार सर्वेक्षण की सूचना (MS Excel में 010 Devlys Font, font size 14) सीडी में तैयार कर ***10 सितम्बर,12 तक मासिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।***

सीडी की सूचना एवं परियोजनावार संकलित सूचना में एकरूपता रखी जावे। आंगनबाडी केन्द्रवार सूचना में सैक्टर का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत का जनगणना कोड भी अंकित किया जावे। जहां तक संभव हो, आंगनबाडी केन्द्रों का क्रम पूर्व में आप द्वारा उपलब्ध करवाई गई आधारभूत सूचना के क्रम के अनुरूप रखा जावे। इस दौरान एकत्रित सूचनाओं के अनुसार 5 वर्ष से अधिक तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सूची अलग से तैयार करवाकर यह सूची स्थानीय प्राथमिक शिक्षा के अधिकारियों को भिजवाई जावें एवं ऐसे सभी बच्चों का प्राथमिक शालाओं (राजकीय एवं निजी पाठशालाएं) में नामांकन सुनिश्चित किया जावें।

निर्धारित समयावधि में सूचना भिजवाने के निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जाकर संबंधित अधिकारी/कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर